सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3157/MH/9/2025-RU-I

दिनांक: 25.05.2026

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट,
जिला-मुंबई-उपनगर,
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,
चेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री रघुनाथ केशव डावरे की पूर्वजों की भूमि सर्वे नं. 26/3, ग्राम गोरेगांव, तालुका-बोरिवली, जिला-मुंबई उप-नगर पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे से मुक्त करवाकर स्वामित्व अधिकार दिलाने हेतु श्री रघुनाथ केशव दावरे से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2025 के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 23.02.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री रघुनाथ केशव दावरे,
प्लॉट नंबर 184, आरएससी-40-65,
सेक्टर-4, चारकोप,कांदिवली पश्चिम,
बीएचडी चारकोप बस डिपो,
मुंबई उपनगरीय, महाराष्ट्र-400067

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3157/MH/9/2025-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री रघुनाथ केशव डावरे की पूर्वजों की भूमि सर्वे नं. 26/3, ग्राम गोरेगांव, ता. बोरिवली, जिला-मुंबई उप-नगर पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे से मुक्त करवाकर स्वामित्व अधिकार दिलाने हेतु श्री रघुनाथ केशव दावरे से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2025 के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.02.2026 को सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 23.02.2026
अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को दिनांक 11.10.2025 को श्री रघुनाथ केशव डावरे, निवासी प्लॉट नं. 184, आर.एस.सी. 40/65, सेक्टर-4, चारकोप, कांदिवली (प.), मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। अभ्यावेदन में आवेदक ने उल्लेख किया है कि सर्वे नं. 26/3, ग्राम गोरेगांव, तहसील बोरिवली, जिला मुंबई उपनगर स्थित भूमि उनके पूर्वजों की पैतृक भूमि है। आवेदक का आरोप है कि उक्त भूमि पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। आवेदक के अनुसार, भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी उन्हें पूर्व में उपलब्ध नहीं थी, जिसका लाभ उठाते हुए गैर-आदिवासी व्यक्तियों ने उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। जब आवेदक ने उक्त भूमि खाली कराने का प्रयास किया, तो संबंधित व्यक्तियों द्वारा उन्हें धमकी दी गई तथा कब्जा छोड़ने से इंकार कर दिया गया। अभ्यावेदन में आवेदक ने आयोग से अनुरोध किया है कि उक्त भूमि पर उनके पूर्वजों से प्राप्त स्वामित्व अधिकारों की जांच कर उन्हें वैधानिक रूप से भूमि का मालिकाना हक दिलाया जाए तथा अवैध कब्जा हटाकर न्याय प्रदान किया जाए।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 26.11.2025 को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुंबई उपनगर को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया था। किन्तु उक्त नोटिस के अनुपालन में आज दिनांक तक संबंधित विभाग से आयोग को कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रकरण के संबंध में पूर्व में कोई भी सुनवाई आयोजित नहीं की गई है।

6. दिनांक 23.02.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

सुनवाई तिथि को जिला कलेक्टर, मुम्बई, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री प्रशांत ठगे, SDM तथा याचिकाकर्ता श्री रघुनाथ केशव डावरे वारथा उपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग ने यह गंभीरता से संज्ञान लिया कि आयोग द्वारा जारी नोटिस के बावजूद जिला प्रशासन, मुंबई उपनगर द्वारा कोई भी तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग ने इस प्रकार की उदासीनता को गंभीर माना तथा संबंधित प्राधिकारी को आयोग के नोटिस का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं माननीय आयोग द्वारा की गई हैं :

1. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुंबई उपनगर प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित भूमि सर्वे नं. 26/3, ग्राम गोरेगांव, तहसील बोरिवली, जिला मुंबई उपनगर के संबंध में विस्तृत जांच कराएं तथा भूमि के स्वामित्व, राजस्व अभिलेखों, 7/12 उतारे, फेरफार नोंद एवं वर्तमान कब्जे की स्थिति का सम्यक परीक्षण करें। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि उक्त भूमि के संबंध में सभी राजस्व अभिलेखों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन (Factual Report) तैयार किया जाए तथा यह प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए।
2. आयोग ने यह भी अनुशंसा करता है कि प्रस्तुत प्रकरण अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की पैतृक भूमि पर कथित अवैध कब्जे से संबंधित है, जो कि जनजातीय भूमि अधिकारों के संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक जांच दल संबंधित स्थल का दौरा करे, जिससे भूमि की वर्तमान स्थिति, कब्जे की वास्तविकता तथा स्थानीय परिस्थितियों का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सके।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-3157/MH/9/2025-RU-I

दिनांक: 23.02.2026

विषय: अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति श्री रघुनाथ केशव डावरे की पूर्वजों की भूमि सर्वे नं. 26/3, ग्राम गोरेगांव, ता. बोरिवली, जिला-मुंबई उप-नगर पर गैर-आदिवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे से मुक्त करवाकर स्वामित्व अधिकार दिलाने हेतु श्री रघुनाथ केशव दावरे से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 11.10.2025 के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 23.02.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, मुंबई उप-नगर, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंवर	हस्ताक्षर
1.	प्रशांत [illegible]	SDM	9158938750	[illegible]
2.	[illegible]	Tahsildar	8369401593	[illegible]
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंवर	हस्ताक्षर
1.	रघुनाथ के. डावरे	R.K. Dawre	7208607002	R.K. Dawre
2.				
3.				
4.				